मत्स्योद्योग विभाग की हितग्राही मूलक योजनाऐं

1. मत्स्य पालन प्रसार :– अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग के मत्स्य पालक जो नियमानुसार तालाब पट्टे पर लेकर मछली पालन करते है,10 वर्ष तक की अवधि मे रू. 15000/– की आर्थिक सहायता,पट्टा राशि,मत्स्य बीज,नाव/जाल एवं इनपुट्स हेतु प्रदाय की जाती है।

2. मछुआ सहकारिता :– सामान्य वर्ग की पंजीकृत मछुआ सहकारी समितियों को जो नियमानुसार तालाब पट्टे पर लेकर मछली पालन करती है। अंशपुजी,,पट्टा राशि,मत्स्य बीज एवं नाव जाल क्रय हेतु आर्थिक सहायता प्रदाय किये जाने का प्रावधान है।

3. अ.जा./अ.ज.जा. की मछुआ सहकारी समितियों को अनुदान :– अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग की पंजीकृत मछुआ सहकारी समितियों को नियमानुसार तालाब/जलाशय पट्टे पर लकर मछली पालन करने पर रू. 1.50 लाख तक की आर्थिक सहायता 100 हेक्टेयर तक के लिये अंशपुजी,,पट्टा राशि,मत्स्य बीज एवं नाव जाल क्रय हेतु प्रदान की जाती है।

4. शिक्षण प्रशिक्षण (अध्ययन भ्रमण) :– प्रगतिशील मछुओ को उन्नत मछली पालन का प्रत्यक्ष अनुभव कराने हेतु शासकीय व्यय पर राज्य के बाहर भ्रमण पर भेजा जाता है।

5. मत्स्य जीवीयो का दुर्धटना बीमा :– मछली पालन व्यवसाय से जुडे हितग्राहियो का निःशुल्क बीमा किया जाता है। स्थाई अपंगता पर रू. 50000/– एवं दुर्घटना मृत्यु होने पर रू 100000/– की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

6. शिक्षण प्रशिक्षण (मछुओ का प्रशिक्षण) :– सभी वर्ग के मत्स्य पालको को 15 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। जिसके तहत प्रशिक्षणार्थी को जाल बुनने के लिये 400 रू का नायलोन धागा एवं 750 रूप्ये की छात्रवृत्ति प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को दी जाती है।

7. बचत सह राहत योजना :– पंजीकृत मछुआ सहकारी समितियों के सदस्यो को माह सितम्बर से मई माह तक 50 रू0 प्रति माह की दर से बैंक मे संयुक्त खाता खोलकर 400 रू0 बचत करने पर दुगनी राशिरू0 800 मिलाकर बंद ऋतु माह जून,जुलाई,एवं अगस्त मे प्रदान की जाती है।

8. मत्स्य कृषक विकास अभिकरण(केन्द्र प्रवर्तित योजना) :–

(1) सघन मत्स्य पालन – योजनान्तर्गत तालाब पट्टे पर करने पर हितग्राही को प्रति हेक्टयर रू. 30000 बैंक ऋण का अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग के लिये 25 प्रतिशत अधिकतम अनुदान रू0 7500 एवं अन्य वर्ग को 20 प्रतिशत अधिकतम अनुदान रू0 6000 उपलब्ध कराया जाता है।

(2) स्वयं की भूमि मे तालाब निर्माण :– योजनान्तर्गत हितग्राही द्वारा स्वयं की भूमि मे मछली पालन के लिये 1.000 हेक्टयर का तालाब निर्माण करने पर अधिकतम लागत रू0 3.00 लाख, बैंक ऋण या स्वंय के व्यय से अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग को 25 प्रतिशत अधिकतम अनुदान रू0 75000 एवं अन्य वर्ग को 20 प्रतिशत अधिकतम अनुदान रू0 60000 उपलब्ध कराया जाता है।

सहायक संचालक मत्स्योद्योग
जिला खण्डवा (म0प्र0)

कार्यालय सहायक संचालक मत्स्योद्योग जिला खण्डवा (म0प्र0)

विभागीय प्रगति की वर्षवार जानकारी

क्र	योजना का नाम	इकाई	वर्ष 2008–09		वर्ष 2009–10		वर्ष 2010–11	
			लक्ष्य	उपल.	लक्ष्य	उपल.	लक्ष्य	उपल.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मत्स्यबीज उत्पादन (स्टे.फ्राय)	लाख	60.00	62.68	62.00	58.94	62.00	58.94
2	मछुओ का प्रशिक्षण	संख्या	320	320	80	80	80	80
3	दुर्घटना बीमा	संख्या	1320	1320	1680	1680	3540	3540
4	मछुआ सहकारी समितियों को अनुदान	रू.लाख	2.70	0.68	0.25	0.25	1.50	0.83
5	बचत सह राहत	संख्या	88	88	134	134	241	241
6	मत्स्य पालको को सहायता	रू.लाख	0.45	–	0.45	0.45	0.45	0.41
7	मत्स्य कृषक विकास अभिकरण योजना							
1	ग्रामीण तालाब पट्टा आबंटन	हेक्टेयर	5.000	5.350	20.000	32.764	05.000	16.240
2	मत्स्यबीज संचयन (स्टे.फ्राय)	लाख मे	25.00	25.00	27.00	28.44	69.00	62.00
3	मत्स्य उत्पादन	टन मे	200.0	156.913	200.0	207.524	230.00	278.07
4	वित्त पोषण A बैंको को प्रस्तुत प्रकरण	लाख मे	15.40	47.55	17.00	43.34	17.00	43.34
	B स्वीकृत प्रकरण	लाख मे	15.40	8.64	17.00	14.00	17.00	6.925
	C वितरित प्रकरण	लाख मे	15.40	6.30	17.00	7.07	17.00	6.925
	D अनुदान वितरण	लाख मे	4.16	1.36	1.68	1.14	4.80	1.335
8	विभागीय जलाशय							
1	मत्स्य उत्पादन	टन मे	20.00	13.087	20.00	16.476	20.00	17.515
2	मत्स्यबीज संचयन (स्टे.फ्राय)	संख्या	4.60	4.60	3.84	3.74	7.68	5.58
3	आय	रू.लाख	2.48	2.32	2.48	2.35	2.48	2.53

सहायक संचालक मत्स्योद्योग
जिला खण्डवा (म0प्र0)